

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 10.11.2023 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-366/23 धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त प्रेम पुत्र विनोद निवासी लुधोरा थाना शिवली कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना रुरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. विवेक पुत्र शशिकांत निवासी ग्राम हसनापुर थाना रुरा कानपुर देहात 2. विशाल पुत्र रामसेवक निवासी शिवाजी नगर कस्बा व थाना रुरा कानपुर देहात 3. यश कमल पुत्र जयराम निवासी ग्राम बनीपारा थाना रुरा कानपुर देहात अभियुक्तगणों द्वारा कस्बा रुरा मे खरीददारी कर रही महिलाओ के साथ अश्लील इशारे व फब्तियां करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-393/23 धारा 294 भादवि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रिन्श कश्यप पुत्र अनिल कुमार निवासी किसरवल थाना रनियाँ कानपुर देहात अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक स्थान शांति मेडिकल स्टोर किशरवल रोड पर खड़े होकर अश्लील गाना गाने व आने जाने वाली महिलाओं से भद्दे भद्दे इशारा करने जिससे आने जाने वाली महिलाओ को शर्मिन्दी महसूस होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-200/23 धारा 294 भादवि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सकील अहमद पुत्र अजीज निवासी कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के पास से 10 लीटर देशी शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-96/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया ।